

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति/

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

मुंबई

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ('बैंक') के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 का समेकित तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण खाता नीतियों व अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- ए. बैंक का लेखा-परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;
- बी. 2 घरेलू सहायक कंपनियों, 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सहायक) 1 विदेशी सहायक इकाई एवं 1 विदेशी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण.
- सी. 2 घरेलू सहायक कंपनियों एवं 2 घरेलू संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण.

बैंक के साथ उपरोक्त इकाइयों को "समूह" के रूप में संदर्भित किया जाता है.

हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सहायक, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों एवं सहयोगियों के संबंध में अन्य वित्तीय जानकारी एवं अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप है और उसमें निम्न समाहित है -

- ए. यथा 31 मार्च, 2023 को बैंक के मामलों की दशा में समेकित तुलन पत्र के मामले में सही व निष्पक्ष;
- बी. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता के मामले में लाभ की वास्तविक राशि; एवं
- सी. उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में नकदी प्रवाह का सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाया गया है.

अभिमत का आधार :

2. हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित हैं. हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता एवं हमारे वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए नैतिक आवश्यकताओं सहित, प्रासंगिक समूह बैंक से स्वतंत्र हैं एवं हमने अपनी इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता सहित अन्य नैतिक जिम्मेदारियों के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

मामलों का प्रभाव

3. हम आपका ध्यान अनुसूची 18 के नोट संख्या 8(सी)(ii)(ए) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खातों की ओर आकर्षित करते हैं जिसके अनुसार पिछले वर्ष के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹ 1521.62 करोड़ की राशि की अतिरिक्त देयता के अपरिवर्तित भाग के संबंध में इसे 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में पूरी तरह से प्रभारित कर लिया गया है. अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के कारण बैलेन्स शीट में कोई भी परिशोधित व्यय नहीं है.

हमारा अभिमत इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है.

अधिकारी
प्रस्तुति

वित्तीय
विवरण

अधिकारी
प्रस्तुति

वित्तीय
विवरण

मुख्य लेखा परीक्षा मामले :

4. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों में हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में बताया गया था, और उसके बाद हमारा अभिमत बनाने तथा इन मामलों पर हम एक अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में जानकारी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मुख्य लेखा परीक्षा मामलों को निर्धारित किया है:

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
1	<p>विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेश पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा प्रावधान</p> <p>ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश जो कि आस्तियों का एक बड़ा वर्ग है 31 मार्च, 2023 तक कुल आस्तियों का 85.98% रहा है। नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानदंडों एवं अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार) द्वारा निर्धारित उद्देश्यात्मक मानदंडों पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधान आधारित है। हमारे बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैन्युअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) पर अधिक निर्भर करता है।</p> <p>बैंक में आईआरएसी मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की सिस्टम आधारित पहचान होती है।</p>	<p>हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। हमारे लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएसी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसके संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में तर्क एवं मान्यताओं पर नियंत्रण, एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आंकलन, ऋणों के संवितरण एवं निगरानी शामिल हैं।</p> <p>इनमें निम्नलिखित के मूल्यांकन और समझ शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और अग्रिम/निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। • गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैन्युअल नियंत्रण; • आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता; • अग्रिमों के मामलों में ऋण अनुमोदन के समग्र नियंत्रण, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया और निवेश के मामले में खरीददारी पर नियंत्रण, बिक्री तथा नियंत्रण में रखने की निर्णय प्रणाली। • हमने ऋण/निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया। • हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहां कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है। • हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न और उनके कार्य पर विश्वास किया है। जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षा का उपयोग कर रहा है।

क्र.	सुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
		<ul style="list-style-type: none"> हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं तथा जो एक लेखा परीक्षक का कार्य करते हुए ऐसे 620 के अनुसार बैंक को सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके कार्यों की समीक्षा की है। इसके अतिरिक्त हमने संभावित कमज़ोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है। हमने बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षण/ निरीक्षण रिपोर्ट के रिपोर्टों एवं उत्तर हेतु समर्वती लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है। अंक संबंधी सटीकता, डाटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन. हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का आकलन और परीक्षण किया है। <p>हमारे द्वारा प्रणाली आधारित एनपीए की पहचान की दक्षता को टेस्ट चेक तथा विश्लेषण किया गया है।</p>
2	<p>सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण</p> <p>कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में, बैंक की वित्तीय लेखा अवधि एवं रिपोर्टिंग सिस्टम कोर बैंकिंग सॉल्युशन के प्रभावी कार्यनिष्ठादान पर एवं सीबीएस से जुड़े हुए या स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे अन्य आईटी सिस्टम पर उच्च स्तरीय रूप से निर्भर हैं. लेनदेन की व्यापक मात्रा, विविधता एवं जटिलता को दैनिक रूप में संसाधित किया जाता है तथा वहां एक जोखिम है जो स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएँ तथा इससे संबंधित आंतरिक नियंत्रण सही ढंग से डिजाइन तथा प्रभावी रूप से संचालन नहीं हो सकते हैं. विशेष क्षेत्र का फोकस लॉजिक से संबंधित है, जो कि सिस्टम में डाटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, एसेस प्रबंधन तथा कर्तव्यों के पृथक्करण को भरा जाता है. ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि आवेदन एवं डाटा उचित, अधिकृत, शोधित तथा जांचे गए हैं ताकि सिस्टम वास्तविक एवं विश्वसनीय रिपोर्ट/रिटर्न तथा अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सूचना जेनरेट कर सके जिसे वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति हेतु उपयोग किया जा सके.</p> <p>हमने निम्नलिखित के लिए सीबीएस एवं अन्य आईटी प्रणालियों के निरंतर एवं स्टीक कामकाज पर विश्वास जताया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं आय निर्धारण; अग्रिम संविभाग पर प्रावधान; 	<p>हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में परीक्षण जांच के आधार पर सिस्टम से जेनरेट अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सूचना का सत्यापन कर आईटी प्रणाली के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है।</p> <p>हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में निम्न शामिल है:</p> <ul style="list-style-type: none"> यह सुनिश्चित करना कि परीक्षण जांच आधार पर हमारे सत्यापन में कमियों को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रबंधन को सूचित किया गया है ; क्षेत्रों में कमियों को देखा गया है कि मौलिक परीक्षण की तरह स्वतंत्र वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया है ; अनुपात विश्लेषण, ट्रैंड विश्लेषण, उचित परीक्षण, तुलनात्मक विश्लेषण की तरह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया; सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित कार्य पर विश्वास एवं शाखा लेखा के परीक्षण के आधार पर सुधारक प्रविष्टियाँ (एमओसी) पारित की गईं; बाह्य विक्रेता जांच रिपोर्ट, जहाँ कहीं भी उपलब्ध हो, पर अभिमत आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा एवं मुख्य आईटी कंट्रोल के अनुपालन के संबंध में आईटी विभाग से परिचर्चा.

अंतर्राष्ट्रीय
प्रौद्योगिकी

वित्तीय
संस्थाएँ

संचालन
क्षमता

वित्तीय
विवरण

क्र.	सुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
	<ul style="list-style-type: none"> विभिन्न वर्गों में अग्रिमों एवं देयता मदों की पहचान एवं इसकी परिपक्वता का स्वरूप उचंत एवं विविध खातों, अवैयत्किक खाता एवं पुराने तथा अंतर-शाखा शेष तथा अन्य ऐसे खातों का समाधान निवेश लेनदेनों की रिकॉर्डिंग जमा एवं अन्य देयताओं पर व्याज व्यय; 	
3	आस्तिगत करों की पहचान करना एवं मापना	<p>बैंक ने 31 मार्च, 2023 को ₹ 8,65,97,447 ('000 में) शुद्ध आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान की है। मापन संबंधी उद्देश्यों के अलावा, आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान एवं माप करना, भविष्य में होने वाले लाभों की दूश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित अनेक अनुमानों एवं निर्णयों पर आधारित है। हाल ही में आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में वृद्धि, पहचान किए गए अनुमानों की उपलब्धता एवं एक विस्तारित समयावधि में लाभ का पूर्वानुमान, इस प्रकार से अनिश्चितता में वृद्धि एवं उक्त आस्ति में अंतर्निहित जोखिम व इसकी अनुचित पहचान।</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लागू कर कानूनों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमों के मध्य तालमेल प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल है। हमारे समझौते के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दोनों टेस्टों का कार्य निष्पादन किया है। हमारे कंट्रोल टेस्टिंग के साथ हमने निम्न लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में कार्यनिष्पादन किया है, लेकिन यह सीमित नहीं है:</p> <ul style="list-style-type: none"> आय पर "करों के लिए लेखांकन" एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन। एकरूपता, स्थिरता एवं निरंतरता, बजट और मिडटर्म जैसे अनुमान, प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए तरीके, धारणा और अन्य मापदंडों का आकलन किया, जिसमें प्रबंधन द्वारा विकास और कर की दरों को लागू किया और अंकगणितीय स्टीकता का परीक्षण किया। लाभ की दूश्यता एवं उपलब्धता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिससे भविष्य में ऐसा आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करने में बैंक सक्षम होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचनाएं

5. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष की मुख्य बातें, परिशिष्टों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, सुख्य वित्तीय अनुपात, कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट एवं कोर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल हैं, परंतु वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं, जो हमें इन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासल IIII प्रकटीकरण के अंतर्गत पीलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं।

हमारे समेकित वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ने की है एवं ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना एकल वित्तीय विवरणों के साथ तात्त्विक रूप से परिवर्तनशील है या हमारी जानकारी लेखापरीक्षा में प्राप्त या अन्यथा ही तात्त्विक रूप से गलत बयान की गई है।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख से पहले, यदि हमारे कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य सूचनाओं में बड़ी विसंगतियाँ हैं, तो हमें इस बात को रिपोर्ट करना होगा। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

जब हम अन्य सूचनाओं को पढ़ते हैं और यदि हम निष्कर्ष निकालें कि इसमें कुछ तथ्य गलत हैं तो हमें गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी को सूचित करना आवश्यक है।

प्रबंधन एवं गवर्नेंस द्वारा प्रभारित समेकित वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारियां

6. बैंक के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय परिणामों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण के लिए जिम्मेदार हैं जो समूह, उसके सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के समेकित वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाह एवं अन्य वित्तीय जानकारी का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21- "समेकित वित्तीय विवरणों", लेखा मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश के लिए लेखांकन" एवं लेखा मानक 27- संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखा नियमों के अनुरूप हैं एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिषत्र, दिशानिर्देशों एवं निर्देशों ("आरबीआई दिशानिर्देश") और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत हैं।

समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल एवं उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई अधिनियम के प्रावधानों/ बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के अनुसार लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं ताकि समूह की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनिमियतताओं की पहचान एवं बचाव, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन बनाना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं संरचना, उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा तात्त्विक गलत बयानी चाहे वे धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, से मुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल एवं उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई, समूह एवं इसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है ताकि वह कार्यशील क्षमता के रूप में बने रहे एवं लागू अनुरूप प्रकटीकरण, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले एवं कार्यशील संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग करना जब तक निदेशक मंडल या तो समूह का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता,

या उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल एवं उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई, समूह एवं इसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के जांच-पड़ताल के लिए जिम्मेदार होंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समुचित तौर पर चाहे धोखाधड़ी या गलती की वजह से तात्त्विक गलतबयानी से मुक्त है एवं एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें हमारा मत शामिल है, को जारी करना है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गई लेखापरीक्षा हमेशा तात्त्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी। गलतबयानी धोखाधड़ी या गलती की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्त्विक माना जाता है, यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रभावित कर पाते।

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। हम साथ ही:

- वित्तीय विवरण की तात्त्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते हुए मूल्यांकित करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा स्बूत प्राप्त करना एवं जो हमारा मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न एक तात्त्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम गलती से उत्पन्न को न पहचानने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें जो कि सभी परिस्थितियों में उपयुक्त हो।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का

मूल्यांकन एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण.

- लेखांकन की कार्यशील संस्था के आधार के प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ठोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक की समार्थ्य पर संदेह बना सकती है। अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि ठोस अनिश्चितता नजर आती है, तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो अब तक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्राप्त किए गए हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती हैं।
- संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, प्रकटीकरण सहित, वित्तीय विवरणों की संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, एवं क्या वित्तीय वितरण अंतर्निहित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि वह एक उचित प्रदर्शन हासिल करें।

अन्य मामलों के अलावा, हम लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखा के समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी किन्हीं महत्वपूर्ण कमियों को गवर्नेंस के संबंध में उनसे संप्रेषण करते हैं।

हम गवर्नेंस से प्रभारित को भी वचन देते हैं कि हमने स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, एवं उनसे संप्रेषण करने के लिए सापेक्ष रिश्ते एवं अन्य मामले जिनके बारे में माना जाता है कि वह विवेकपूर्ण तरीके से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हैं, एवं सुरक्षोपाय संबंधी, जहां लागू है।

गवर्नेंस से प्रभावित संपेषित मामलों से, हमने ऐसे मामलों को निर्धारित किया है जो कि वर्तमान अवधि की एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के सबसे अधिक महत्व के हैं एवं इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में लोक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या जब, अत्यधिक दुर्लभ मामलों में, हम यह तय करते हैं कि ऐसे मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों

से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हो।

अन्य मामले:

8. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में, निर्दिष्ट 3 सहायक कंपनियां एवं 1 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का लेखा परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरणों में यथा 31 मार्च, 2023 को कुल संपत्ति ₹ 4,47,55,068 (हजार में) एवं कुल राजस्व ₹ 22,11,654 (हजार में) एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष में कर राशि के बाद शुद्ध हानि ₹ 4,33,866 (हजार में), समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में माना गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 8,13,202 (हजार में) के कर के बाद शुद्ध लाभ का समूह हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है, एक सहयोगी के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है। इन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है। जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और इन सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के संबंध में हमारा मत यह है कि समेकित वित्तीय विवरणों में निर्दिष्ट राशि एवं प्रकटीकरण मात्र अन्य लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों में 2 सहायक एवं 2 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भी शामिल हैं, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी यथास्थिति 31 मार्च, 2023 को कुल संपत्ति ₹ 5,20,44,943 (हजार में), समूह के हिस्सेदारी को दर्शाता है, दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 1,77,52,017 (हजार में) समूह का हिस्सा एवं कर पश्चात कुल शुद्ध लाभ ₹ 4,04,522 (हजार में) समूह के हिस्सेदारी को दर्शाता है, जैसा कि समेकित वित्तीय परिणामों में निर्दिष्ट है। ये अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी हमें बैंक के प्रबंधन द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रदान की गयी है एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित हैं, पूर्ण रूप से इस तरह की समीक्षा/अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारे मत में एवं बैंक प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यह वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी समूह के महत्व लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समूह की इकाइयों जिनके वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, को अनुसूची 18 के लेखों पर

नोट्स में सूचीबद्ध किया गया है, जो समूह के समय के समेकित वित्तीय विवरण का एक भाग है।

उक्त संदर्भित मामलों में, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत एवं किए गए कार्य के संबंध में हमारा विश्वास तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं अशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

10. ऊपर दिए गए पैरा 5 और 8 में इंगित ऑडिट की सीमा और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अधीन, सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के बायान जैसा कि लागू सीमा तक "अन्य मामले" पैरा में उल्लेखित है और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी है और अन्य वित्तीय जानकारी हमारी लेखा परीक्षा एवं अलग-अलग वित्तीय विवरण पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आवश्यक है और हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त की गई जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।

बी) हमारे विचार से हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन, बैंक के अधिकार में किए गए हैं; तथा

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 002785S

सीए पी. एम. वीरामणि
भागीदार

सदस्य सं. 023933

यूडीआईएन: 23023933BGVFB3602

कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन 005223C

सीए रुचि अग्रवाल
भागीदार

सदस्य सं. 504134

यूडीआईएन: 23504134BGWTPQ8986

हस्ताक्षर का स्थान : मुंबई

रिपोर्ट की तारीख : 06.05.2023

सी) बैंक के कार्यालय एवं शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं।

11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारी राय में, बैंक द्वारा अब तक की विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों रखी गई हैं, उन पुस्तकों की जांच से यह प्रतीत होता है कि हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिन का हमने दौरा नहीं किया है;

बी) समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए खाता बही के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के साथ मेल खाते हैं जिन का हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा और कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से निपटाया गया है;

डी) हमारी राय में, समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित कैश फलो स्टेटमेंट लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यह अपनी सीमा में है व आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 109262W/W100673

सीए निरंजन जोशी
भागीदार

सदस्य सं. 102789

यूडीआईएन: 23102789BGWREB1919

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 108959W

सीए सचिन वी लूथरा
भागीदार

सदस्य सं. 109127

यूडीआईएन: 23109127BGQVHRS4391

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 002803C

सीए अभिषेक शर्मा
भागीदार

सदस्य सं. 079224

यूडीआईएन: 23079224BGTQKQP5499

कृते मेसर्स एन वी एस & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 110100W

सीए प्रदीप जे. शेष्ठी
भागीदार

सदस्य सं. 046940

यूडीआईएन: 23046940BGPTTT2512

अंग्रेजी
प्रस्तुति

अंग्रेजी

अंग्रेजी
प्रस्तुति

अंग्रेजी
प्रस्तुति

समेकित तुलन पत्र

यथा 31 मार्च, 2023

(₹ 000' में)

विवरण	अनुसूची क्रमांक	यथा	
		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
पूँजी एवं देयताएं			
पूँजी	1	6,83,47,475	6,83,47,475
सहायक कंपनी द्वारा जारी अधिमान्य शेयर पूँजी	1ए	10,40,035	10,40,035
आरक्षित एवं अधिशेष	2	71,86,47,629	63,92,23,739
अल्पमत हित	2ए	-	-
जमाराशियाँ	3	11,20,32,19,225	10,34,36,77,535
उधार	4	42,73,65,947	51,24,51,999
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	46,49,50,783	37,29,15,316
कुल		12,88,35,71,094	11,93,76,56,099
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष	6	50,25,81,072	46,11,58,920
बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य शेष	7	62,34,07,568	73,64,23,289
निवेश	8	3,43,72,69,559	3,51,83,90,437
अग्रिम	9	7,64,27,66,793	6,63,35,56,506
अचल आस्तियां	10	8,84,79,756	7,20,83,095
अन्य आस्तियां	11	58,90,66,347	51,60,43,852
समेकन पर साख		-	-
कुल		12,88,35,71,094	11,93,76,56,099
आकस्मिक देयताएं	12	6,08,09,92,755	6,51,14,68,340
संग्रहण के लिए बिल		43,56,67,177	66,08,94,128
प्रमुख लेखा नीतियाँ			
खातों से संबंधित नोट	17		
	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

(पंकज कुमार)

उप महाप्रबंधक

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रामसुब्रमणियन एस)

कार्यपालक निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)

निदेशक

(लक्ष्मण एस उपर्युक्त)

निदेशक

(निधु सक्सेना)

कार्यपालक निदेशक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(निवेश रंजन)

कार्यपालक निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)

निदेशक

(प्रीति जय राव)

निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 002785S

सीए पी. एम. वीरामणि

भागीदार

सदस्य सं. 023933

यूडीआईएन: 23023933BGVFVC3602

कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन 005223C

सीए रुचि अग्रवाल

भागीदार

सदस्य सं. 504134

यूडीआईएन: 23504134BGWTPQ8986

कृते मेसर्स साराडा & पार्सीख एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 109262W/W100673

सीए निरंजन जोशी

भागीदार

सदस्य सं. 102789

यूडीआईएन: 23102789BGWREC1919

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 002803C

सीए अभिषेक शर्मा

भागीदार

सदस्य सं. 079224

यूडीआईएन: 23079224BGTQKQP5499

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 108959W

सीए सचिन वी लूथरा

भागीदार

सदस्य सं. 109127

यूडीआईएन: 23109127BGQVHRS4391

कृते मेसर्स एन वी एस & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 110100W

सीए प्रदीप जे. शेट्टी

भागीदार

सदस्य सं. 046940

यूडीआईएन: 23046940BGPTTT2512

समेकित लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में)

विवरण	अनुसूची क्रमांक	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
i. आय			
अर्जित ब्याज	13	81,16,31,823	68,22,96,573
अन्य आय	14	15,91,53,525	13,52,44,131
कुल		97,07,85,348	81,75,40,704
ii. व्यय			
ब्यय किया गया ब्याज	15	48,03,28,447	40,17,84,651
परिचालन व्यय	16	23,48,73,032	19,70,26,117
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		17,12,80,436	16,66,44,918
कुल		88,64,81,915	76,54,55,686
iii. संहायक कंपनियों में अल्पमत हित और अर्जन के अंश से पहले समेकित निवल लाभ/ (हानि)		8,43,03,433	5,20,85,018
जोड़ें : संहायक कंपनियों में लाभ/(हानि) का अंश पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) अल्पमत शेयरधारकों का हिस्सा घटाने से (घटायें):- अल्पमत हित वर्ग विशेष हेतु समूह के लिए वर्ष का समेकित निवल लाभ/(निवल हानि) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित से अंतरण जोड़ : आगे लाया गया लाभ/(हानि) विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि			
जोड़ें : संहायक कंपनियों में अल्पमत हित निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित से अंतरण विशेष आरक्षित में अंतरण [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii)] निवेश आरक्षित खाते में अंतरण प्रस्तावित लाभांश लाभ हानि खाते में शेष कुल		8,13,202 8,51,16,635 - 8,51,16,600 58,32,008 35	5,68,187 5,26,53,205 - 5,26,53,205 00,00,000 35
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		9,09,48,643	5,26,53,240
iv. विनियोजन			
सार्विधिक आरक्षित में अंतरण		2,10,83,194	1,31,93,989
पूंजी आरक्षित में अंतरण		9,45,461	1,22,12,675
निवेश उतार चढ़ाव जोखिम आरक्षित में अंतरित		-	65,68,682
राजस्व और अन्य आरक्षित से अंतरण		3,48,14,630	24,71,838
विशेष आरक्षित में अंतरण [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii)]		60,00,000	52,20,000
निवेश आरक्षित खाते में अंतरण		17,69,006	-
प्रस्तावित लाभांश		2,05,04,309	1,29,86,021
लाभ हानि खाते में शेष		58,32,043	35
कुल		9,09,48,643	5,26,53,240
प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड (अंकित मूल्य रु. 10))	18(13)	12.45	7.77
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट्स	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियों समेकित लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

(पंकज कुमार)
उप महाप्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रामसुब्रमण्यन एस)
कार्यपालक निदेशक
(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक
(लक्ष्मण एस उपर)
निदेशक

(निधु सक्सेना)

कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)

कार्यपालक निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)

निदेशक

(प्रीति जय राव)

निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 0027855

सीए पी. एम. वीरामणि

भागीदार

सदस्य सं.023933

यूडीआईएन: 23023933BGVFVC3602

कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन 005223C

सीए रुचि अग्रवाल

भागीदार

सदस्य सं. 504134

यूडीआईएन: 230504134BGWTPQ8986

कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 109262W/W100673

सीए निरंजन जोशी

भागीदार

सदस्य सं.102789

यूडीआईएन: 23102789BGWREC1919

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 002803C

सीए अभिषेक शर्मा

भागीदार

सदस्य सं. 079224

यूडीआईएन: 23079224BGTKQP5499

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 108959W

सीए सचिन वी लूथरा

भागीदार

सदस्य सं. 109127

यूडीआईएन: 23109127BGQVHRS4391

कृते मेसर्स एन वी एस & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 110100W

सीए प्रदीप जे. शेष्ठी

भागीदार

सदस्य सं. 046940

यूडीआईएन: 23046940BGPTT2512

समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

यथा 31 मार्च, 2023

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2023	यथा 31 मार्च, 2022
अनुसूची 1 - पूँजी :		
I. प्राधिकृत:		
रु.10 प्रति शेयर की दर से 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,00,00,000	10,00,00,000
II. निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त :		
i. रु.10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित	5,70,66,609	5,70,66,609
ii. रु.10 प्रति शेयर की दर से 112,80,86,616 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित	1,12,80,866	1,12,80,866
कुल	6,83,47,475	6,83,47,475
अनुसूची 1ए - सहायक कंपनी द्वारा जारी अधिमानी शेयर पूँजी :		
17 मई, 2018 को दाई ईची लाइफ होल्डिंग इंक को 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रति ₹ 10/- (यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक सहायक कंपनी द्वारा जारी) के 10,40,03,544 अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय गैर - मोर्चनीय अधिमानित शेयर	10,40,035	10,40,035
कुल	10,40,035	10,40,035

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2023	यथा 31 मार्च, 2022
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :		
I. साविधिक आरक्षित:		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि	14,68,21,655 2,10,83,194	13,36,27,665 1,31,93,989
II. पूँजी आरक्षित:		
ए) पूँजी आरक्षित :		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष के दौरान कमी	5,89,33,239 9,45,461 -	4,67,20,564 1,22,12,675 -
बी) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित:	5,98,78,700	5,89,33,239
पिछले तुलनपत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष के दौरान कमी	4,75,70,740 1,51,92,863 14,39,378	4,89,84,778 79,201 14,93,238
सी) समामेलन आरक्षित	6,13,24,225	4,75,70,741
पिछले तुलनपत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष के दौरान कमी	1,30,95,979 -	1,30,95,979 -
	1,30,95,979	1,30,95,979
	13,42,98,904	11,95,99,958

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2023	यथा 31 मार्च, 2022
III. समेकन पर पूंजी आरक्षिति		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,21,351	6,63,498
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान कमी	3,01,200	2,42,147
	1,20,151	4,21,351
IV. शेयर प्रीमियम :		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	18,39,26,860	17,37,85,077
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,01,198	1,01,92,652
वर्ष के दौरान कमी	-	50,870
	18,42,28,058	18,39,26,860
V. राजस्व एवं अन्य आरक्षिति :		
i) राजस्व एवं अन्य आरक्षिति :		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	10,74,30,020	9,53,58,032
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,75,80,223	1,36,44,810
वर्ष के दौरान कमी	25,786	15,72,823
	14,49,84,457	10,74,30,020
घटाएँ:- अल्पमत हित		-
	14,49,84,457	10,74,30,020
ii) धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	6,02,98,789	5,50,78,789
वर्ष के दौरान वृद्धि	60,00,000	52,20,000
	6,62,98,789	6,02,98,789
iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	58,485	58,485
वर्ष के दौरान वृद्धि	843	-
वर्ष के दौरान कमी	-	-
	59,328	58,485
iv) निवेश उत्तर चढ़ाव आरक्षिति		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,93,61,583	1,27,92,901
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	65,68,682
वर्ष के दौरान कमी	58,32,008	
	1,35,29,575	1,93,61,583
v) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	12,73,628	20,15,886
वर्ष के दौरान वृद्धि	8,11,962	2,95,338
वर्ष के दौरान कमी	24,94,495	10,37,597
	(04,08,905)	12,73,628
vi) डिबेंचर मोचन आरक्षिति		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	31,375	31,375
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	
वर्ष के दौरान कमी		31,375
	31,375	31,375

विवरण

विवरण

सम्बन्धित अधिकारी

विवरण

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2023	यथा 31 मार्च, 2022
vi. निवेश आरक्षित खाता पिछले तुलनपत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि वर्ष के दौरान कमी	17,69,006 - 17,69,006	- - 22,62,63,624
VII. लाभ हानि खाते में शेष लाभ हानि खाते में शेष कुल	58,32,043 71,86,47,629	35 18,84,53,880 63,92,23,739
अनुसूची 2 ए अल्पमत हित प्रारंभिक शेष जोड़े/(घटाएँ):- वर्ष के दौरान वृद्धि/(घटाएँ) कुल अल्पमत हित	- -	- -

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2023	यथा 31 मार्च, 2022
अनुसूची 3 – जमाराशियां :		
I. मांग जमाराशियां	1,75,66,930	81,32,959
i) बैंकों से	72,24,22,466	71,90,31,754
ii) अन्य से	3,20,10,49,443	72,71,64,713
II. बचत बैंक जमाराशियां		3,04,57,69,582
III. मीयादी जमाराशियां	17,64,32,725	2,27,87,325
i) बैंकों से	7,08,57,47,660	6,54,79,55,915
ii) अन्य से	11,20,32,19,225	6,57,07,43,240
कुल		10,34,36,77,535
भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां	11,05,94,29,728	10,31,96,69,265
भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमा राशियां	14,37,89,497	2,40,08,270
कुल	11,20,32,19,225	10,34,36,77,535

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2023	यथा 31 मार्च, 2022
अनुसूची 4 – उधार :		
ए) भारत में उधार		
i. भारतीय रिजर्व बैंक	13,38,20,000	14,20,90,000
ii. अन्य बैंक	75,821	1,98,28,213
iii. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	2,34,63,987	3,02,20,231
iv. शाश्वत बॉन्ड्स	9,68,80,000	8,70,50,000
v. अधीनस्थ बॉन्ड्स	9,95,00,000	10,05,00,000
vi. 7 वर्षीय इन्फ्रा बॉन्ड्स	-	35,37,39,808
बी) भारत से बाहर उधार		
कुल	7,36,26,139	13,27,63,555
उपर्युक्त बी (I) एवं (II) में सम्मिलित प्रतिभूति उधार	42,73,65,947	51,24,51,999
	13,90,42,858	14,70,29,470

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2023	यथा 31 मार्च, 2022
अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान :		
I. देय बिल	2,64,97,502	2,68,90,202
II. उपचित ब्याज	6,03,43,341	4,54,94,112
III. अन्य (प्रावधान सहित)*	37,81,09,940	30,05,31,002
कुल	46,49,50,783	37,29,15,316

* मानक आस्तियों हेतु, प्रावधान ₹ 5,59,63,289 (विगत वित्तीय वर्ष ₹ 6,57,86,258) सहित

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2023	यथा 31 मार्च, 2022
अनुसूची 6 – नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष:		
I. धारित नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित)	2,84,16,340	3,78,48,706
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष		
i. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष चालू खाते में	47,41,54,986	42,33,09,768
ii. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष अन्य खाते में	9,747	446
कुल	50,25,81,072	46,11,58,920

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2023	यथा 31 मार्च, 2022
अनुसूची 7 – बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन :		
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
ए) चालू खातों में	61,55,270	24,07,403
बी) अन्य जमा खातों में	5,85,95,898	6,15,83,178
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
ए) बैंकों से	5,00,000	-
बी) अन्य संस्थाओं से	31,23,03,614	55,41,14,877
	37,75,54,782	61,81,05,458
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	54,81,900	33,72,152
ii) अन्य जमा खातों में	23,88,70,885	11,36,93,769
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	15,00,001	12,51,910
कुल	24,58,52,785	11,83,17,831
	62,34,07,568	73,64,23,289

अनुसूची 8 – निवेश:

I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	2,62,25,87,764	2,65,82,89,693
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	91,11,365	58,64,924
iii) शेयरों में	2,45,33,686	2,62,42,463
iv) डिबेंचर एवं बाण्डस में	64,33,93,358	70,34,90,650
v) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपकरणों / एसोसिएट में	35,02,148	26,88,946
vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, स्पूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में)	11,10,88,502	10,05,44,011
कुल	3,41,42,16,823	3,49,71,20,687

अंक प्रस्तुतियाँ

निवेश

सार्विक विवरण

वित्तीय विवरण

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2023	यथा 31 मार्च, 2022
II. भारत से बाहर निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	1,86,90,375	1,85,57,542
ii) शेयरों में	3,35,490	6,810
iii) अन्य निवेश (बाण्डस में)	40,26,870	27,05,398
iv) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में	0	0
कुल	2,30,52,736	2,12,69,750
कुल	3,43,72,69,559	3,51,83,90,437
III. i) भारत में निवेश		
सकल मूल्य	3,49,25,11,153	3,55,86,12,295
घटाएँ: मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	7,82,94,330	6,14,91,607
भारत में निवेश निवल मूल्य	3,41,42,16,823	3,49,71,20,688
ii) भारत से बाहर निवेश		
सकल मूल्य	2,33,14,075	2,15,85,972
घटाएँ: मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	2,61,339	3,16,223
भारत से बाहर निवेश निवल मूल्य	2,30,52,736	2,12,69,749
कुल	3,43,72,69,559	3,51,83,90,437

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2023	यथा 31 मार्च, 2022
अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)		
I i) खरीदे और भुनाए गए बिल	3,29,74,692	3,87,31,665
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	3,48,61,71,808	2,87,95,84,813
iii) मीयादी ऋण	4,12,36,20,293	3,71,52,40,028
कुल	7,64,27,66,793	6,63,35,56,506
II i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	6,25,80,98,735	5,36,44,78,377
ii) बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत	12,26,93,689	13,07,52,505
iii) अप्रतिभूत	1,26,19,74,369	1,13,83,25,624
कुल	7,64,27,66,793	6,63,35,56,506
ए. भारत में अग्रिम:		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2,85,85,94,969	2,59,52,39,457
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	81,73,80,496	72,72,96,155
iii) बैंक	6,33,569	2,22,975
iv) अन्य	3,71,92,11,698	3,13,83,22,359
कुल	7,39,58,20,732	6,46,10,80,946
बी. भारत के बाहर अग्रिम:		
i) बैंकों से प्राप्त	5,39,13,567	5,45,65,135
ii) अन्य से प्राप्त	-	-
ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	4,08,197	12,32,802
बी) सिंडीकेटेड ऋण	-	5,47,141
सी) अन्य	19,26,24,296	11,61,30,482
कुल	24,69,46,060	17,24,75,560
	7,64,27,66,793	6,63,35,56,506

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2023	यथा 31 मार्च, 2022	
अनुसूची 10 – अचल आस्तियां :			
ए. मूर्त आस्तियां			
I. परिसर			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	8,09,82,724	8,16,49,772	
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,16,26,582	6,12,275	
वर्ष के दौरान कमी	67,17,063	12,79,323	
घटाएँ: आज की तारीख तक अवमूल्यन	9,58,92,243	8,09,82,724	
II. प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्य	2,76,06,610	2,64,08,228	5,45,74,496
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	3,70,133	6,30,768	
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,25,262	1,87,638	
वर्ष के दौरान कमी	4,73,766	4,48,273	
III. भूमि	24,98,636	12,45,683	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	12,33,904	13,08,678	
वर्ष के दौरान वृद्धि	97,572	55,725	
वर्ष के दौरान कमी	36,34,968	24,98,636	
घटाएँ: आज की तारीख तक अवमूल्यन	7,02,457	4,52,022	20,46,614
IV. अन्य अचल आस्तियां			
(फर्नीचर एवं फिक्चर्स सहित)			
ए) पहुँच पर दी गयीं आस्तियां			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	2,68,478	2,68,478	
वर्ष के दौरान वृद्धि	45,920	-	
वर्ष के दौरान कमी	-	-	
घटाएँ: आज की तारीख तक अवमूल्यन	3,14,398	2,68,478	
बी. अन्य	3,12,863	2,68,478	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	6,90,59,835	6,49,59,025	
वर्ष के दौरान वृद्धि	70,01,866	49,20,419	
वर्ष के दौरान कमी	12,54,203	8,19,609	
घटाएँ: आज की तारीख तक अवमूल्यन	7,48,07,497	6,90,59,835	
बी. अमूर्त आस्तियां	5,96,87,939	5,63,82,534	1,26,77,301
(i) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	1,23,74,205	1,14,93,797	
वर्ष के दौरान वृद्धि	9,41,715	9,10,278	
वर्ष के दौरान कमी	11,51,692	29,870	
आज की तारीख तक परिशोधित	1,21,64,227	1,23,74,205	
कुल	1,02,45,338	99,59,654	24,14,551
		8,84,79,756	7,20,83,095

प्रैक्टिस

कैटग्री

सार्विक खाते

बैंकी विवरण

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2023	यथा 31 मार्च, 2022
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां :		
I. अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल)	2,20,20,700	1,79,97,046
II. उपचित ब्याज	9,19,16,723	7,77,68,178
III. खोत पर प्रदत्त कर/ कर की कटौती (निवल प्रावधान)	6,75,66,225	5,41,13,751
IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप	62,780	63,349
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां	1,334	1,334
VI. अन्य	27,57,45,972	21,34,52,492
VII. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	8,66,27,845	12,29,53,434
VIII. एमएटी क्रेडिट	4,51,24,768	2,96,94,268
कुल	58,90,66,347	51,60,43,852
अनुसूची 12 – संभाव्य देयताएं :		
I. बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	3,02,43,174	3,32,70,455
II. अंशतों प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	-	-
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	4,13,37,63,836	4,37,12,08,481
IV. संघटकों की ओर दी गयी गारंटी		
i) भारत में	66,40,64,012	65,35,08,697
ii) भारत से बाहर	1,42,33,661	1,65,87,098
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	99,64,20,847	1,26,99,57,903
VI. संभाव्य देयताओं की अन्य मर्दें	-	-
VII. अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	21,02,78,944	13,81,64,819
VIII. डी ई ए एफ योजना - 2014 में अंतरित राशि	3,19,88,282	2,87,70,887
कुल	6,08,09,92,755	6,51,14,68,340

समेकित लाभ एवं हानि खाते के भाग के रूप में अनुसूचियां 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	(₹ 000' में)	
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	56,87,45,745	45,29,33,293
II. निवेशों से आय	21,63,56,463	20,15,94,684
III. भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज	2,13,17,912	2,14,39,537
IV. अन्य	52,11,704	63,29,059
कुल	81,16,31,823	68,22,96,573
अनुसूची 14 - अन्य आय :		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	2,18,70,990	1,71,90,485
II. निवेशों की बिक्री से लाभ - (निवल)	86,24,178	3,52,44,503
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)	25,73,612	(13,43,760)
IV. स्थायी आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि - (निवल)	(14,860)	(3,489)
V. विनिमय संबंधवाहारों से लाभ - (निवल)	81,33,570	60,83,678
VI. ए) पट्टा वित्त आय	-	-
बी) पट्टा प्रबंधन शुल्क	-	-
सी) अतिदेय शुल्क	-	-
डी) प्राप्य पट्टा किराया पर ब्याज	-	-
VII. विविध आय	11,79,66,035	7,80,72,713
कुल	15,91,53,525	13,52,44,131
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :		
I. जमाराशियों पर ब्याज	44,38,31,965	37,47,18,766
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	1,85,04,007	1,05,60,975
III. अन्य	1,79,92,476	1,65,04,910
कुल	48,03,28,447	40,17,84,651
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :		
I. कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	12,52,40,040	10,26,36,661
II. किराया, कर और बिजली	1,08,23,277	1,08,29,331
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	11,55,291	9,75,942
IV. विज्ञापन और प्रचार	13,34,511	6,94,846
V. ए) पट्टा आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	74,45,671	74,48,149
बी) पट्टा आस्तियों पर मूल्यहास	-	-
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	61,641	48,608
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	7,44,948	6,70,847
VIII. विधि प्रभार	17,37,120	15,25,868
IX. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	32,23,483	31,25,474
X. मरम्मत एवं रखरखाव	37,33,263	33,75,669
XI. बीमा	1,37,50,448	1,16,58,849
XII. साख पर परिशोधन, यदि कोई हो	-	-
XIII. अन्य व्यय	6,56,23,339	5,40,35,874
कुल	23,48,73,032	19,70,26,117

अप्रैल
परिवर्तन

मई

जून
परिवर्तन

जुलाई तिथियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (समेकित) : अनुसूची 17

1 प्रस्तुति का आधार

ये वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा वर्णित न हों, प्रचलित लेखाबंदी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, गोंडिंग कंसर्न अवधारणा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएपी), भारतीय रिजर्व बैंक ('भारिबै'), द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन (एएस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है। विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित पद्धति और सांविधिक प्रावधानों का पालन किया गया है।

2 अनुमानों का उपयोग

जीएपी के साथ अनुरूपता में वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से जाना जाता है।

3 समेकन का आधार

ए) बैंक की 5 सहायक कंपनियां, 3 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी इकाई हैं। इसकी जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	प्रकृति	इकाई	स्टेक
1	सहायक कंपनी	यूनियन आस्ति प्रबंधन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	100%
2	सहायक कंपनी	यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	100%
3	सहायक कंपनी	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबै) लिमिटेड	100%
4	सहायक कंपनी	आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड	100%

क्र.	प्रकृति	इकाई	स्टेक
5	सहायक कंपनी	यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड	100%
6	संयुक्त उद्यम	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	25.10%
7	संयुक्त उद्यम	एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	26.02%
8	संयुक्त उद्यम	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी	25.00%
9	सहयोगी इकाई	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	35%

समेकित वित्तीय विवरण निम्न के आधार पर बनाया गया है:

- 1) मूल बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
- 2) सहायक कंपनियों का समेकन : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण पर एएस-21 के क्रम में अंतर-समूह संव्यवहारों, अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के पश्चात, मुख्य बैंक संबंधित मद के साथ सहायक कंपनियों के आय / व्यय / आस्तियों / देयतायों के पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकत्रीकरण करेंगे।
- 3) एसोसिएट्स का समेकन: एसोसिएट में निवेश इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट में निवेश का लेखांकन से संबंधित मानक लेखांकन - 23 के अनुसार, इन्हिंटी पद्धति के आधार पर समेकन हेतु लेखांकित किया गया है।
- 4) संयुक्त उपक्रम का समेकन: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी संयुक्त उपक्रम में व्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का मानक लेखांकन- 27 के अनुसार संयुक्त उद्यम में आनुपातिक शेयर का पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है।
 - बी) घरेलू एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम के मामले में, मूल बैंक द्वारा पालन किए गए भिन्न-भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण, लेखांकन समायोजन बढ़ रहे हैं और एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम की व्यवहारिक समस्याओं के कारण एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर समायोजन नहीं किए गए हैं क्योंकि राशियां प्राप्त नहीं हुईं।

सी) सहायकों में निवेश के समूह की लागत एवं सहायकों में इक्विटी के मुख्य भाग के बीच के अंतर को सीएफएस में साख/ पूँजी रिजर्व, जैसा भी मामला हो के रूप में पहचाना गया है।

डी) समैक्षित सहायक कंपनी के शुद्ध परिसम्पत्तियों में निम्न अल्प संख्यक हित शामिल हैं:

- सहायक कंपनी में किए गए निवेश की तिथि पर अल्पसंख्यक को स्त्रोतजन्य इक्विटी की राशि
- मूल सहायक कंपनी का संबंध आस्तित्व में आए दिनांक से, राजस्व रिजर्व / हानि में अल्पसंख्यक शेयरों में गतिविधि एवं इक्विटी।
- अल्पसंख्यक को लागू आधिक्य एवं कोई अग्रतर हानि, को बहुसंख्यक हित के सापेक्ष केवल उस हद तक समायोजित किया जाता है जहां अल्पसंख्यक के लिए बाध्यकारी दायित्व है, और नुकसानों में अच्छा कर सकता है।

4 राजस्व निर्धारण

ए) बैंकिंग निकाय

- जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है।
- गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है। गत वर्ष में दर्ज की गई आय और वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत आस्तियों के संबंध में शेष अप्राप्ति की मान्यता समाप्त कर दी गई है।
- गारंटी पत्र / साख पत्र पर कमीशन की गणना उपचित आधार पर की गई है।
- विनियम एवं ब्रोकरेज अर्जित, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया, आधार कार्ड से आय, न्यूनतम जमाशेष आदि वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं।
- "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

 - ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल विक्रय/ शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है।

बी) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए लेखांकन किया गया है।

vi) जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है।

vii) भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए की बिक्री का लेखांकन किया गया है।

viii) आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर आयकर रिफ़र्ड पर ब्याज की गणना की जाती है।

बी) गैर - बैंकिंग संस्था

जीवन बीमा

i) प्रीमियम आय

प्रीमियम (जीएसटी निवल) जब देय है, तब आय के रूप में मान्य है। लिंकड कारोबार हेतु जब एसोसिएटेड यूनिट सृजित की जाती है, तब प्रीमियम के रूप में मान्य है। टॉप-अप प्रीमियम को एकल आय के रूप में लिया जाता है। कालातीत पॉलिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रूप में पहचाना जाता है, जब पॉलिसियां पुनर्स्थापित हुई हैं। पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय के रूप में तब परिवर्तित किया जाता है, जब पुनर्बीमा प्रीमियम के रूप में परिवर्तित किया गया है।

ii) लिंकड फंड से आय

लिंकड फंड से आय, जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टलिटी प्रभार, कोप्रबंधन प्रभार आदि शामिल है, को जारी पॉलिसियों के नियमों व शर्तों के अनुसार लिंकड कोष से वसूल किया गया है।

iii) पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा की लागत को प्रीमियम आय की पहचान के समय समझाते या पुनर्बीमाकर्ता के साथ मूल अनुबंध के अनुसार गणना की गई है। पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के विरुद्ध प्राप्त है।

iv) लाभों का भुगतान (दावों सहित)

लाभ के भुगतान में पॉलिसी लाभ व दावा निपटान लागत, यदि कोई है, शामिल है, के लिए मृत्यु, राइडर व सर्मरण

अधिकारी
प्रस्तुति

अधिकारी

अधिकारी
प्रस्तुति

अधिकारी
प्रस्तुति

दावों की सूचना प्राप्त होने पर गणना की गई है। उत्तरजीवी लाभ दावों व परिपक्वता दावों की देय होने पर गणना की गई है। एसोसिएट यूनिट्स निरस्त होने पर लिंकड पॉलिसी के अंतर्गत निकासी व समर्पण की संबंधित योजना में गणना की जाती है। दावों पर पुनर्बाया वसूली की उसी अवधि में गणना की गई है, जिस अवधि से संबंधित दावे हैं।

v) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागतें ऐसी लागतें हैं जिसमें परिवर्तन जारी रहता है और जो प्राथमिक तौर पर बीमा संविदा के अधिग्रहण से संबंधित हैं एवं उसी अवधि में खर्च किए गए हैं, जिस अवधि से संबंधित है।

vi) जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु देयता

जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु बीमांकिक देयता और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है, लेकिन देयता आस्तित्व में है, का निर्धारण नियुक्त बीमांकिक द्वारा सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करते हुए और समूह कारोबार के मामले में, अनर्जित प्रीमियम रिजर्व पद्धति द्वारा स्वीकृत बीमांकिक व्यवहार, बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, आईआरडीए विनियमों और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्च्युरिस ऑफ इंडिया के अनुसार किया गया है।

आस्ति प्रबंधन

- i) निवेश प्रबंधन शुल्क को कर के साथ उपचय आधार पर स्युचुअल फण्ड योजनाओं (योजना में कम्पनी द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) की औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार पहचान की गई है कि यह सेबी (स्युचुअल फण्ड) विनियम, 1996 और उसके पश्चात कोई संशोधन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
- ii) निवेश सलाहकारी शुल्क की पहचान ग्राहक के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर की गई है।
- iii) ब्याज उपचित आय की पहचान समयानुपात पद्धति का उपयोग करते हुए, संब्यवहार में निहित दर के आधार पर की गई है।
- iv) लाभांश आय की पहचान तब की गई है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो गया हो।

5 निवेश

i) वर्गीकरण

बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारूप ए की अपेक्षाओं के अनुरूप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- ए) सरकारी प्रतिभूतियां
- बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- सी) शेयर
- डी) ऋणपत्र एवं बॉन्ड
- ई) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं
- एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र डीओआर एमआरजी.42/21.04.141/201-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 (23 मार्च, 2022, 31 मार्च, 2022, 08 अप्रैल, 2022 एवं 08 दिसंबर, 2022 को अद्यतित) के अनुसार तीन संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यथा:

- ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),
- बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
- सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

ii) मूल्यांकन का आधार

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं:

- ए) "एचटीएम" में धारित प्रतिभूतियां- अधिग्रहण लागत पर : अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है तथा बहु की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है।

	बी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।	
सी)	अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।	
डी)	ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में अस्थायी के अलावा हास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है।	
ई)	“एफएस” व “एचएफटी” श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप्ट वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध हास, यदि है, तो लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि शुद्ध वृद्धि, यदि कोई हों, को अनदेखा किया गया है।	
एफ)	अन्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :	
ए	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ)	फाईर्नेंशियल बैंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) के कोटेशन के अनुसार
बी	राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉन्ड	एफआईएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर.
सी	झक्किटी शेयर	यदि उल्लेखित हो, तो बाजार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (18 माह से अधिक पुराना न हो) के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य पर. दोनों नहीं होने पर, ₹.1/- प्रति कंपनी के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर ब्रेक-अप मूल्य की गणना की जाए.
डी	वरीयता शेयर	यदि उल्लेखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमडीए/ के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं.

ई	ऋण पत्र/ बॉन्ड्स	यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एकआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर.
एफ़	स्युचुअल फंड (एमएफ़)	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की दशा में, संबंधित स्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
जी	राजकोषीय बिल / जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
एच	उद्यम पंजी निधियां (वीसीएफ़)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुराना न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हो तो रु.1/- प्रति वीसीएफ़.
आई	प्रतिभूति रसीदें	इसका मूल्यांकन वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन पर आरबीआई/ डीओआर/2021-22/81डीओआर.एमजीआर. 42/21.04.141/2021-22) दिनांक 25 अगस्त, 2021 तथा समय-समय पर संशोधनों के अनुसार किया जाएगा.

- iii) अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.
 - iv) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

- ए) विक्रय के लिए उपलब्ध(एफएस)/ट्रेडिंग के धारित(एचएफटी) से परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर बही मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर, यदि कोई, हास है, तो लगाया गया है.
- बी) परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध(एफएस)/ट्रेडिंग के लिए धारित(एचएफटी) श्रेणी में
- यदि परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत /बही मूल्य पर.
 - यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर.
- सी) विक्रय के लिए उपलब्ध(एफएस) से ट्रेडिंग के लिये धारित(एचएफटी) श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.
- डी) इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया.
- v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है.
- vi) किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि एवं निवेश पर निवल मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है (निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज़ किया जाता है). तथापि, परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूँजी खाते में समायोजित की गई है.
- vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.
- viii) सौदे कीमत के हिसाब से इक्विटी की खरीद एवं बिक्री पर ब्रोकरेज तथा एसटीटी का भुगतान किया जाएगा.
- ix) एचटीएम प्रतिभूतियों पर प्रीमियम के परिशोधन की गणना स्ट्रेट-लाइन पद्धति का उपयोग करके की जाती है.
- x) निवेश संविभाग की संगणना के लिए बैंक, भारित औसत मूल्य (डबल्यूएपी) का अनुसरण कर रहा है.
- xi) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संब्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा “निपटान तारीख” का पालन किया जाता है.
- xii) म्यूचुअल फड़, वैंचर कैपिटल एवं प्रतिभूति रसीद की इकाइयों से होने वाली आय को नकद आधार पर माना जाएगा.
6. डेरीवेटिव संविदा
- ए) वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप उपचित आधार पर लगाई गई है, सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों या देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य या लागत से कम या बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.
- बी) ट्रेडिंग स्वैप संब्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं (लाभ यदि कोई है, को अनदेखा किया जाए).
- सी) विकल्प संविदाओं के मामले में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.
- डी) विदेशी मुद्रा स्वैप लेनदेन पर अर्जित अंतरपणन आय की गणना विनिमय लेनदेन श्रेणी पर लाभ/हानि में की जाती है.
7. अग्रिम
- i) भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- (ए) मानक,
- (बी) अवमानक,

(सी) संदिग्ध तथा

(डी) हानि आस्तियों.

ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों पर मास्टर परिपत्र आरबीआई/2022-2023/15डीओआर.एसटीआर.आरईसी.04/21.04.048/2022-23 दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के अनुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। विदेशी शाखाओं में स्थित अग्रिमों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा स्थानीय विधि, जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं, द्वारा लागू विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिक सख्त हो लागू होंगे।

- ii) अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान तथा गैर निषादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी) / निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है।
- iii) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को “अन्य देयताओं और प्रावधानों” में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल गैर निषादक आस्तियों व निवल अग्रिमों में नहीं लिया गया है। आईआरएसी आरबीआई/2022-2023/15 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2022-23 दिनांक 01 अप्रैल, 2022 तथा उसके बाद के समय-समय पर जारी किसी भी परिपत्र के अनुसार मानक आस्तियों का प्रावधान किया जाना है।
- iv) बड़े खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में माना जाएगा।
- v) छह महीने से अधिक समय से बकाया उचंत खातों की प्रविष्टियों पर प्रावधान 100% किया गया है, सिवाय सरकार/ सरकारी निकायों से प्राप्त दावे जैसे फसल ऋण पर ब्याज अनुदान/निर्यात अग्रिम, पेंशन आदि को छोड़कर।

8. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

- ग) परिसर एवं अन्य अचल आस्तियों को लागत, संचयित मूल्यहास के निवल तथा संचित हानि पर लिया गया है, यदि कोई है। लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधार लागत और परिसंपत्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से लागत कम व्यापार छूट और रिबेट

शामिल है। इस तरह की आस्तियों से इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है। पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है तथा हास की राशि को उसमें से घटाया गया है और “संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण” पर संशोधित लेखा मानक-10 के अनुसार राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा।

ii) बैंक की व्यय नीति में समय समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन मेथड पर अचल आस्तियों पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। मूल्यहास की लागू दरें निम्नानुसार हैं:

क्र.सं	पूंजी आस्ति	उपयोग हेतु वर्ष (वर्ष)	प्रतिशत में दर
1	अचल संपत्ति- भूमि	गैर निर्दिष्ट; तदनुसार, कोई मूल्यहास नहीं	शून्य
2	आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर- आवासीय दोनों)	60	1.67
3	फर्नीचर	10	10.00
4	फिक्सचर	10	10.00
5	वातानुकूलित प्लांट (पैकेज एवं जल/वातानुकूलित डक्टेबल)	10	10.00
6	स्लिट एवं विडो एयर वातानुकूलन	5	20.00
7	विद्युत इन्स्टालमेंट एवं उपकरण	5	20.00
8	सौर ऊर्जा उपकरण	15	6.67
9	एलिवेटर एवं लिफ्ट	15	6.67
10	पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं फ्लोरिंग का कार्य	5	20.00
11	दूरभाष उपकरण	5	20.00
12	मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	10	10.00
13	मोटर कार, मोटर लॉरी एवं इलेक्ट्रिक से संचालित वाहन जिसमें पावर बैट्री सहित या ईंधन सेल संचालित वाहन शामिल हैं।	8	12.50
14	मोबाइल फोन	3	33.33
15	जेनेरेटर	15	6.67
16	कार्यालय उपकरण	5	20.00
17	कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के एकीकृत भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3	33.33
18	एटीएम एवं संबद्ध आइटम	5	20.00

क्र.सं	पूँजी आस्ति	उपयोग हेतु वर्ष (वर्ष)	प्रतिशत में दर
19	यूपीएस एवं संबद्ध आइटम	5	20.00
20	सर्वर एवं नेटवर्क	6	16.66
21	अंतिम यूजर साधन जैसे डेस्कटॉप, लैपटाप, आई-पैड, टैब्लेट प्रिंटर एवं स्कैनर, डिजिटल घडियाँ आदि	3	33.33
22	एसडीवी लॉकर, स्ट्रॉग रूम डोर, कैश सेफ आदि (फिक्चर सहित).	20	5.00
23	स्टाफ को उपलब्ध कराई गई वस्तुएं (फर्नीचर/ इलेक्ट्रिकल एवं आदि)	5	20.00

- iii) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर, परिसर पर मूल्यहास संमिश्र लागत पर लगाया गया है।
- iv) पट्टे पर ली गई आस्तियां तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यहास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर का उपयोग कर स्ट्रेट-लाइन के आधार पर लगाया गया है।
- v) देश के बाहर स्थित अचल आस्तियों एवं सहायक कंपनी/एसोसियेट्स की अचल सम्पत्तियों पर नियामक की आवश्यकतानुसार/अथवा संबंधित देश/उद्योग की प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप मूल्यहास लगाया गया है।

9. आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है। क्षण हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है। उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है। क्षण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यहास लगाया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है। लेकिन रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो क्षण न होने पर सामान्य मूल्यहास लगाने के बाद होती।

10. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

काउंटर साइक्लिक बफर प्रावधानीकरण करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग

अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा का मूल्यांकन किया जाता है। काउंटर साइक्लिक प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है।

11. विदेशी विनियम संबंधी लेनदेन

विदेशी विनियम संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11 (विदेशी विनियम दरों में परिवर्तन के प्रभाव), के अनुसार किया जाता है। जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

- ए) एकीकृत परिचालन एवं
- बी) गैर एकीकृत परिचालन।

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाइयां, विदेशी अनुषंगियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनियम में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है।

ए) एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

- i) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनियम दरों पर लिया गया गया है।
- ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक एवं गैर- मौद्रिक आस्तियां एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है।
- iii) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनियम दर के आधार पर दर्शायी गई हैं।
- iv) परिणामी विनियम अन्तरों की पहचान आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है।
- v) वायदा विनियम संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनियम दर पर अभिलिखित किया गया है। फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और "अंतरिम" परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनियम संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है।

परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।

- बी) गैर - एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण
 - i) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है।
 - ii) विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा आकस्मिक देयताओं बकाया का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित अंतिम तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर पर किया जाता है।
 - iii) आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है।
 - iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है बल्कि शुद्ध निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग “विदेशी मुद्रा लेखा रिजर्व” खाते में रखा जाता है।

12. कर्मचारी लाभ

(ए) अत्यावधि रोजगार लाभ:

अत्यावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूर्ण देय होती है उसे अत्यावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(बी) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

i. निर्धारित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है। इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन

योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा उतना ही बैंक का अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है। बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है।

ii. निर्धारित लाभ योजना:

ग्रेच्यूटी, पेशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं। इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 “कर्मचारी लाभ” के अनुरूप एकचुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है। एक्युरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है।

13. खंड-वार रिपोर्ट करना :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17 “खंड-वार रिपोर्टिंग” के अनुसार, बैंक ने कारोबार संवर्ग को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीय कारोबार खंड के रूप में माना है। कारोबार खंड को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- 13.1 ट्रेजरी परिचालन,
- 13.2 कॉर्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,
- 13.3 रिटेल बैंकिंग परिचालन और
(जिसमें से, जहां भी एवं जब भी डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट लागू हो)
- 13.4 अन्य बैंकिंग परिचालन में

14. लीज संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया जाता है। बैंक द्वारा लीज / किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/ नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है। अतिरिक्त किराये/लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय माना जाता है।

15. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इकिवटी शेयरधारकों को बकाया इकिवटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्ट्युट्रेड आय संभावित डायल्ट्यूशन को प्रदर्शित करता है, जो किया जाता है यदि वर्ष के दौरान इकिवटी शेयर निर्गम का अनुबंध अथवा परिवर्तित किया गया था। प्रति इकिवटी शेयर की डायल्ट्युट्रेड आय की गणना वर्ष के दौरान इकिवटी शेयर के भारित औसत संख्या और बकाया डायल्ट्यूटीव इकिवटी शेयर का उपयोग करके की जाती है।

16. कराधान

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर एस -22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच समय अंतराल के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं। चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है। कर योग्य आय पर कर नियमों के अनुसार वर्तमान कर का प्रावधान किया गया है। समय अंतराल के कारण उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियों एवं अस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं स्थापित कर नियमों के

अनुसार की गयी है। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक "उचित निश्चितता" न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थगित कर का निर्धारण होगा। गैर-मूल्यहास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल "आभासी निश्चितता" होने पर मान्यता दी जाती है।

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) के अनुसार, बैंक केवल तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएं हों। ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्भासन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गयी है, क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रूप में परिणित हो सकती है।

18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्यय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं।

अनुसूची 18 लेखों पर नोट्स (समेकित)

1. बैंक (पैरेंट) के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण के साथ जिन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समेकित किया गया है, वे निम्नानुसार हैं:

सहायक कंपनियों के नाम	निगमन का देश	31.03.2023 को पैरेंट के स्वामित्व का अनुपात
यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100%
यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	100%
आंद्रा बैंक फाइनैशियल सर्विसेस लि.	भारत	100%
यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड	भारत	100%

2. समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रमों के विवरण निम्नानुसार हैं :

संयुक्त उपक्रम के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (गैर-बैंकिंग)	भारत	25.10%
एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	26.02%
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया)	भारत	25.00%
बीएचडी		

3. समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट के विवरण निम्नानुसार हैं:

एसोसिएट का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	भारत	35%

31 मार्च, 2023 को बैंक द्वारा किए गए निवेश का मूल्य ₹1542.52 करोड़ रहा, जिसे दीर्घावधि निवेश के रूप में माना गया है।

4. सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरण जिनका उपयोग समेकन के लिए किया गया है, वे पैरेंट की रिपोर्टिंग तिथि, अर्थात् 31 मार्च, 2023, तक के हैं, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी के वित्तीय विवरण जिनका उपयोग समेकन के लिए किया गया है, वे दिनांक 31 दिसंबर, 2022 के लिए हैं।

5. यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक के दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर और इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी के दिनांक 31.12.2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तथा स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड, एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड और आंद्रा बैंक फाइनैशियल सर्विसेज लिमिटेड के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

6. निरंतर आधार पर उचंत खातों, विविध जमाराशि, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतर-शाखा / कार्यालय खातों में लंबित प्रविष्टियों का समायोजन प्रगति पर है। उसी के अंतिम मंजूरी के बावजूद, प्रबंधन की राय में खातों पर कुल प्रभाव, यदि कोई हो, तो वह उल्लेखनीय नहीं है।

7. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है

7.1. ए. पूंजी

बैंक 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासेल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के पालन के अधीन है। 1 अक्टूबर 2021 तक बासेल III के कार्यान्वयन के लिए एक संक्रमण अनुसूची दिशानिर्देश में दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2021 से बासेल III का सम्पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, टीयर 1 पूंजी कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) और अतिरिक्त टियर 1 (एटी 1) से बनी है।

बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2023 तक पूंजी का जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी-1 8% (2.50% के पूंजी संरक्षण बफर सहित) और न्यूनतम टीयर 1 सीआरएआर 9.50% तक बनाए रखना आवश्यक है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने बासेल III अनुपालन में खंडवार रूपये 2,200 करोड़ की टीयर-2 बॉन्ड एवं अतिरिक्त रुपये 1,983 करोड़ की टीयर-1 जारी किया है और बासेल III अनुपालन में मोचन (रिडम्पशन) हेतु ₹ 2,300 करोड़ की टीयर-2 बॉन्ड एवं अतिरिक्त ₹ 1,000 करोड़ की टीयर-1 बॉन्ड के लिए कॉल विकल्प का अभ्यास प्रारम्भ किया है।

अप्रैल
पूंजी

मई
पूंजी

जून
पूंजी

जुलाई-सितंबर
पूंजी विवरण

संरचना के अनुसार पूँजी पर्याप्तता की गणना नीचे दी गई है:

क्र.	विवरण	31.03.2023	(₹ करोड़ में) 31.03.2022
i.	सामान्य इकिविटी टीयर-1 पूँजी अनुपात (सीईटी 1) / पेड अप शेयर पूँजी एवं आरक्षित (निवल कटौती, यदि कोई हो)	71,879.53	58,205.98
ii.	अतिरिक्त टीयर 1 पूँजी / अन्य टीयर 1 पूँजी	8,985.99	8,539.83
iii.	टीयर 1 पूँजी (i + ii)	80,865.52	66,745.81
iv.	टीयर 2 पूँजी	12,299.90	12,692.32
v.	कुल पूँजी (टीयर 1+टीयर 2)	93,165.42	79,438.12
vi.	कुल जोखिम-भारित आस्तियां (आरडबल्यूए)	5,82,024.83	5,48,469.51
vii.	सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) / आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में प्रदत्त शेयर एवं आरक्षित	12.35	10.61
viii.	टीयर 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूँजी)	13.89	12.17
ix.	टीयर 2 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूँजी)	2.11	2.31
x.	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूँजी)	16.01	14.48
xi.	लीवरेज अनुपात	5.74	5.17
xii.	शेयर धारिता का प्रतिशत		
	ए) भारत सरकार	83.49	83.49
	बी) राज्य सरकार (नाम का उल्लेख करें)	--	--
	सी) स्पॉसर बैंक		
xiii.	वर्ष के दौरान प्रदत्त इकिविटी पूँजी के माध्यम से जुटाई गयी राशि	--	1,447.17
xiv.	वर्ष के दौरान जुटाई गयी गैर-इकिविटी टीयर 1 पूँजी की राशि जिसमें:		
	ए) बासल III अनुपालन शाश्वत गैर संचयी अधिमान शेयर	--	--
	बी) बासल III अनुपालन स्थायी/ बेमियादी कर्ज लिखत	1,983.00	5,000.00
xv.	वर्ष के दौरान जुटाई गयी टीयर 2 पूँजी की राशि जिसमें		
	ए) शाश्वत गैर संचयी अधिमानी शेयर	--	--
	बी) प्रतिदेय गैर संचयी अधिमानी शेयर	--	--
	सी) बासल III अनुरूप प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय टीयर 2 बॉन्ड	2,200.00	2,000.00

7.2 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

लाभ एवं हानि शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का ब्रेकअप:	31.03.2023	(₹ करोड़ में) 31.03.2022
निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / (प्रति प्रविष्टि)	1,915.53	200.48
एनपीए के लिए प्रावधान	12,506.77	11931.44
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (प्रति प्रविष्टि)	(988.37)	1451.35
आयकर / आस्थगित कर के लिए निवल प्रावधान	3,716.20	3357.84
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:	(22.08)	(276.62)
कुल	17,128.04	16664.49

7.3 काउंटर साईक्लिकल प्रावधान बफर / फ्लोटिंग प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
i)	प्रारंभिक शेष	शून्य	306.20
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य
iii)	लेखा वर्ष के दौरान ड्रा डाउन की गई राशि	शून्य	306.20
iv)	लेखाबंदी शेष	शून्य	शून्य

8 कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित) (मूल बैंक)

i) अल्पावधि रोजगार के लाभ:

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि को अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान मान्य होती है, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की थी।

ii) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

ए) निश्चित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है। इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10% अंशदान तथा 14% बैंक का अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है। बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अधिकालित किया करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है।

बैंक के पास 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) विद्यमान है। यह योजना पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्वावधान के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा प्रबंधित है। एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉजिटोरी को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में रु. 0.12 करोड़ एरिअर सहित रु. 525.36 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 501.51 करोड़) का अंशदान किया है।

बी) निश्चित लाभ योजना:

ग्रेच्युटी, पेंशन और अवकाश नकदीकरण निश्चित लाभ योजनाएं हैं। इसमें इंस्ट्रीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा मानक - 15 'कर्मचारी लाभ' के अनुरूप बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है। बीमाकिक लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है।

सी) निश्चित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु बीमाकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इंस्ट्रीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए स्पष्टीकरण दिया है।

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2023		31.03.2022	
		उपदान	पेशन	उपदान	पेशन
i)	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाती तालिका:				
	वर्ष के आरंभ में देयता	3,197.81	28,650.99	3,355.82	26,011.41
	ब्याज लागत	233.76	2,120.17	232.56	1,797.39
	चालू सेवा लागत	163.00	184.38	161.12	212.30
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	1902.02
	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(प्रदत्त लाभ)	(334.38)	(2,120.73)	(465.84)	(2,341.52)
	बाध्यताओं पर बीमांकिक (अर्जन) / हानि- परिवर्तन के कारण				
	वित्तीय धारणा में	(63.88)	(278.47)	(119.57)	(1,446.34)
	जनाकिक धारणा में	शून्य	शून्य	2.86	63.46
	बाध्यताओं पर बीमांकिक (अर्जन) / हानि	29.55	614.25	30.86	2,452.27
	वर्ष के अंत में देयताएं	3,225.86	29,170.59	3,197.81	28,650.99
ii)	योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी::				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,367.60	27,043.50	2,746.43	26,720.88
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	246.17	2,001.22	190.33	1,846.41
	अंशादान	शून्य	1,780.29	843.37	551.42
	अन्य कंपनी से अंतरण	0.29	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(प्रदत्त लाभ)	(334.38)	(2,120.73)	(465.84)	(2,341.52)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक (अर्जन) / हानि	(17.33)	49.96	(53.31)	(266.31)
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,262.35	28,754.24	3,367.60	27,043.50
	अवधि के लिए बाध्यताओं पर बीमांकिक (अर्जन) / हानि	(34.33)	335.78	(85.85)	1,069.39
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक (अर्जन) / हानि	17.33	(49.96)	(53.31)	(266.31)
	अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन / (हानि	(17.00)	285.82	(139.16)	803.08
iii)	संक्रमणकालीन देयता की पहचान:				
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	योजना आस्तियों पर वार्तविक प्रतिलाभ :				
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	246.17	2,001.22	190.33	1,846.41
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन / (हानि)	(17.33)	49.96	53.31	266.31
	योजना आस्तियों पर वार्तविक प्रतिलाभ	228.84	2,051.18	243.64	2,112.72
v)	आय विवरण में चिह्नित व्यय :				
	वर्तमान सेवा लागत	163.00	184.38	161.12	212.30
	ब्याज लागत	(12.41)	118.95	42.23	(49.02)
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) (बढ़ी हुयी फॅमिली पेंशन का 1/5)	शून्य	1,521.62	शून्य	380.40
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक (अर्जन) या हानि	(17.00)	285.82	(139.16)	803.08
	लाभ व हानि खाते में चिह्नित व्यय	133.59	2,110.77	64.19	1346.76

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2023		31.03.2022	
		उपदान	पेशन	उपदान	पेशन
vi)	तुलन पत्र समाधान: प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन पत्र में चिह्नित शुद्ध राशि) उपर्युक्त के अनुसार व्यय अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध) अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध) (नियोक्ता का अंशदान) तुलन-पत्र में शुद्ध (आस्ति)/देयता चिह्नित राशि	(169.79)	85.87	609.39	(709.47)
vii)	अन्य विवरण : पेशन सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अध्यधीन है. उपदान, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि रुपये 20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो. वर्ष के दौरान बीमांकिक अर्जन/हानि की गणना की गई है. वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्तति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है. सदस्यों की संख्या वेतन प्रति माह आगामी वर्ष के लिए अंशदान	133.59 (0.29) शून्य (36.49)	2,110.77 शून्य शून्य 416.35	64.19 शून्य शून्य (843.37) (169.79)	1,346.76 शून्य शून्य (551.42) 85.87
viii)	आस्तियों का संवर्ग: भारत सरकार की आस्तियां कॉर्पोरेट बांड/एफडीआर विशेष जमा योजना राज्य सरकार सम्पत्ति अन्य बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां म्यूचुअल फंड कुल	61.47 25.75 - 82.81 शून्य 64.13 3,028.18 शून्य 3,262.34	565.13 720.80 - 1,379.39 शून्य 454.17 25,634.75 शून्य 28,754.24	63.45 36.15 - 101.17 शून्य 244.10 2,897.20 शून्य 3,367.60*	585.14 721.81 - 1,185.78 शून्य 1,733.36 22,492.80 324.61 27,043.50*

* नोट : वित्तीय वर्ष 2021-22 के पेशन एवं उपादान जो 7.25% माना गया था, के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में पेशन एवं उपादान देयताएं का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए, एलआईसी एवं अन्य बीमा कंपनियों में निवेश पर रिटर्न को 7.50% माना गया है.

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/कमी:	उपदान योजना				
	31.03.23	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	3,225.86	3,197.81	3,355.82	1,291.94	1,222.64
वर्ष के अंत में देयता	3,262.35	3,367.60	2,746.43	1,219.01	1,202.14
अंतर	36.49	169.79	(609.39)	(72.93)	(20.50)
पिछली पहचान न की गई सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	36.49	169.79	(609.39)	(72.93)	(20.50)

* केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

अंतिम
प्रस्तुति

वर्तमान

सम्बन्धित
संस्थाएँ

वित्तीय विवरण

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	उपदान योजना				
अनुभव समायोजन	31.03.23	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	29.55	30.86	752.31	25.87	7.91
योजना आस्तियों पर (हानि) / लाभ	(17.33)	53.31	34.41	7.20	(13.03)

* केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/कमी:	पेंशन योजना				
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	31.03.23	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*
वर्ष के अंत में देयताएं	29,170.59	28,650.99	26,011.41	12,746.69	12,158.43
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	28,754.24	27,043.50	26,720.88	12,607.16	12,308.84
अंतर	(416.35)	(1,607.49)	709.47	(139.53)	150.41
पहचान न की गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	1,521.62	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	(416.35)	(85.87)	709.47	(139.53)	150.41

* केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	पेंशन योजना				
	31.03.23	31.03.22	31.03.21	31.03.20*	31.03.19*
अनुभव समायोजन					
योजनागत देयताएं (लाभ)/हानि	614.25	2,452.27	1,456.27	938.90	125.22
योजनागत आस्तियों (हानि) / लाभ	49.96	266.31	81.65	75.23	7.18

* केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमान का उपयोग (%)	2022-23		2021-22	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
पिछली छूट दर	7.31	7.40	6.93	6.91
पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.31	7.40	6.93	6.91
पिछली वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
वर्तमान छूट दर	7.49	7.53	7.31	7.40
वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	7.49	7.53	7.31	7.40
वर्तमान वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
वर्तमान एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

i) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालिक अवधि कर्मचारी लाभ हेतु तैयार किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	31.03.2023	31.03.2022
1.	पेंशन	2,110.77	1,346.76
2.	अवकाश किराया रियायत	3.66	13.41
3.	अवकाश नकदीकरण	149.30	48.70

बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर बीमारी अवकाश के लिये रु. 268.76 करोड़ का प्रावधान किया है, हालांकि इसमें कोई बड़ा भुगतान नहीं है.

ii) फॅमिली पेंशन एवं उपदान देयताएं अपरिशोधित :

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023	31.03.2022
पेंशन		
ए) पूर्ववर्ती शेष राशि	1,521.62	शून्य
बी) सकल देयताएं	शून्य	1,902.02
सी) लाभ एवं हानि पर प्रभार	1,521.62	380.40
डी) अग्रेषित शेष राशि	शून्य	1,521.62
उपदान		
ए) लाभ एवं हानि पर प्रभार	शून्य	शून्य
बी) अग्रेषित	शून्य	शून्य

ए) 11 वें द्विं-पक्षीय समझौते और 11 नवंबर, 2020 के संयुक्त नोट के तहत कवर किए गए बैंक के कर्मचारियों को देय पारिवारिक पेंशन में संशोधन के अनुसार, बैंक के बीमाकार्य मूल्यांकन के आधार पर ₹ 1,902.02 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी थी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. आरबीआई/2021-22/ 105 डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के अनुसार ₹ 380.40 करोड़ की राशि का परिशोधन किया गया एवं 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 1,521.62 करोड़ के अपरिशोधित भाग को लाभ एवं हानि खाते में पूरी तरह से प्रभारित किया गया है। अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के कारण बैलेंस शीट में कोई अपरिशोधित व्यय नहीं है।

बी) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. आरबीआई / डीओआर / 2021-22 / 83 डीओआर. एसीसी.आरईसी.न.45/ 21.04.018 / 2021-22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 के संदर्भ में (20 फरवरी, 2023 को अद्यतित), निम्नलिखित प्रकटीकरण आवश्यक हैं (मूल बैंक):

- ए. अन्य देनदारियों और प्रावधानों के मामले में, “अन्य (प्रावधानों सहित)“ शीर्ष के तहत कोई भी मद कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक है,
- बी. अन्य आस्तियों के मामले में, “अन्य“ शीर्ष के तहत कोई भी मद कुल आस्ति के एक प्रतिशत से अधिक है,
- सी. अन्य आय के मामले में, “विविध आय“ के तहत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है,
- डी. परिचालन व्यय के मामले में, “अन्य व्यय“ के तहत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है,

(₹. करोड़ में)

अनुसूची 14 - अन्य आय उप शीर्ष - विविध आय की मदों का विवरण		
उप शीर्ष के अंतर्गत मद	(₹ करोड़ में)	कुल आय का %
अग्रिमों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क	1,178.18	1.24
विविध आय	1,004.21	1.05
बहु खाते में वसूली	5,549.49	5.82

जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, अन्य शीर्षों से संबंधित कोई अन्य प्रकटीकरण नहीं है।

अपरिशोधित

विविध

आस्तियांक संघर्ष

विविध विवरण

10. क्षेत्रवार रिपोर्टिंग (एएस-17)

10.1. कारोबार क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कारोबार क्षेत्र	समेकित	
		समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
		31.03.2023	31.03.2022
(ए)	क्षेत्रवार राजस्व		
1	ट्रेजरी परिचालन	26,442.90	26,815.66
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	31,078.66	26,198.04
	(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	569.38	लागू नहीं
	(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	30,509.28	26,198.04
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	35,941.71	25,776.79
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	1,979.37	1,397.64
5	गैर आबंटित	2,198.75	1,688.64
	कुल क्षेत्रवार राजस्व	97,641.39	81,876.77
	घटाया अंतर-क्षेत्रवार राजस्व	(562.86)	(122.70)
	परिचालन से आय	97,078.53	81,754.07
(बी)	क्षेत्रवार परिणाम		
1	ट्रेजरी परिचालन	2,426.80	6,002.74
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	5,059.25	4,508.68
	(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	(43.07)	लागू नहीं
	(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	5,102.32	4,508.68
3	कॉर्पोरेट बैंकिंग	3,091.44	(3,093.72)
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	1,063.52	758.37
5	गैर आबंटित	505.46	390.27
	कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)	12,146.47	8,566.34
(सी)	कर हेतु प्रावधान	3,716.12	3,357.84
(डी)	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	8,430.35	5,208.50
	जोड़ा: एसोसिएट में लाभ का शेयर	81.32	56.82
(ई)	समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)	8,511.67	5,265.32
(एफ)	क्षेत्रवार आस्तियां		
1	ट्रेजरी परिचालन	4,64,788.70	4,78,735.97
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	3,59,680.33	3,18,913.60
	(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	42,263.05	लागू नहीं
	(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	3,17,417.28	3,18,913.60
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	4,26,011.76	3,68,181.73
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5	गैर आबंटित	37,876.32	27,934.31
	कुल	12,88,357.11	11,93,765.61

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कारोबार क्षेत्र	समेकित	
		समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
		31.03.2023	31.03.2022
(जी)	क्षेत्रवार देयताएं		
1	ट्रेजरी परिचालन	4,56,704.84	4,70,252.54
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	3,28,812.17	2,90,449.81
	(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	38,724.27	लागू नहीं
	(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	2,90,087.90	2,90,449.81
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	3,88,190.19	3,35,313.11
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5	गैर आबंटित	35,846.39	26,889.03
	कुल	12,09,553.60	11,22,904.49
(एच)	नियोजित पूँजी		
1	ट्रेजरी परिचालन	8,083.86	8,483.43
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	30,868.16	28,463.79
	(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	3,538.78	लागू नहीं
	(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	27,329.38	28,463.79
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	37,821.57	32,868.62
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5	गैर आबंटित देयताएं	2,029.92	1,045.28
	कुल	78,803.51	70,861.12

नोट:

- बैंक चार क्षेत्रों अर्थात् ट्रेजरी, रिटेल, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफ़ाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफ़ाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस - 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस- 17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर एएस- 17 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं. अतः बैंक का रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.
- सीधे तौर पर आबंटित न किए जा सकने योग्य आय, व्यय, प्रयुक्त पूँजी प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किए जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिए गए हैं.
- पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनर्स्मूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है.
- डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीओआर.एयूटी.आरईसी. 12 / 22.01.001 / 2022-23 दिनांक 7 अप्रैल, 2022 के अनुसार, बैंक ने पहली बार 'डिजिटल बैंकिंग' को खुदरा बैंकिंग खंड के उप-खंड के रूप में प्रकट किया है.

प्रतिवेदन

वर्तमान

संविधान अधिकारी

वित्तीय विवरण

11. संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस-18) (मूल बैंक)

11.1 संबंधित पार्टियों की सूची

ए. सहायक कंपनियां

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं.प्रा.लि.
- यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.
- आंध्रा बैंक फाइनैशियल सर्विसेस लि.
- यूबीआई सर्विसेस लि

बी. संयुक्त उद्यम

- स्टार यूनियन दाई-इची इश्योरेस कं. लि.
- एएसआरईसी (इंडिया) लि.
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद

सी. एसोसिएट

- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

डी. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु भुगतान की गई पारिश्रमिक
श्री राजकिरण रै जी@	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	0.19
सुश्री ए मणिमेखलै #	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	0.30
श्री मानस रंजन बिस्वाल ##	कार्यपालक निदेशक	0.11
श्री नितेश रंजन	कार्यपालक निदेशक	0.39
श्री रजनीश कर्नाटक	कार्यपालक निदेशक	0.34
श्री निधु सक्सेना	कार्यपालक निदेशक	0.32
श्री रामसुब्रमण्यन एस ^	कार्यपालक निदेशक	0.12

@ 31.05.2022 तक

03.06.2022 से

30.04.2022 तक

^ 21.11.2022 से

पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संब्यवहार दर्ज किए गए

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं हैं। आगे, एएस 18 के अनुच्छेद 6 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संब्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक संबंधी भी शामिल हैं का प्रकटन नहीं किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार, केएमपी को बैंक का पूर्णकालिक निदेशक माना जाता है।

ई) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - प्रदत्त पारिश्रमिक राशि

विवरण	31.03.2023	(₹ करोड़ में) 31.03.2022
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक	0.49	0.37
कार्यपालक निदेशक	1.28	1.21
कुल	1.77	1.58

पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार दर्ज किए गए

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं हैं। आगे, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक संबंधी भी शामिल हैं का प्रकटन नहीं किया गया है।

12. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है। डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गई है।

प्रति शेयर आय की गणना नीचे दी गई है:

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या	6,83,47,47,466	640,68,44,355
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य	42,79,03,111
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	6,83,47,47,466	6,83,47,47,466
मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयर की भारित औसतन संख्या	6,83,47,47,466	6,77,26,13,590
विधिट अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले शेयर की भारित औसतन संख्या	6,83,47,47,466	6,77,26,13,590
निवल लाभ/(हानि) रूपए करोड़ में	8,511.67	5,265.32
मूल अर्जन प्रति शेयर (रु)	12.45	7.77
विधिट अर्जन प्रति शेयर (रु)	12.45	7.77
मौद्रिक मूल्य प्रति शेयर (रु)	10	10

13. करों के लिये प्रावधान:

आस्थगित कर (एएस-22)

क्र. विवरण	31.03.2023	(₹ करोड़ में) 31.03.2022
सं.		
आस्थगित कर आस्तियां		
1 कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण)	534.18	474.78
2 स्थायी आस्तियों पर मूल्यांकन	395.67	358.12
3 अन्य प्रावधानों के कारण	11,408.93	14,072.58
4 विदेशी मुद्रा अंतरण अधिशेष	-84.48	1.14
5 मानक आस्तियां	0.00	588.37
6 अन्य	-0.01	0.07
कुल	12,254.30	15,495.05

क्र. विवरण सं.	(₹ करोड़ में)	
	31.03.2023	31.03.2022
आस्थगित कर देयताएं		
1 प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज	1,274.79	1,092.63
2 36(i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां	2,316.74	2,107.08
3 निवेश पर मूल्यहास	--	--
कुल	3,591.53	3,199.71
शुद्ध आस्थगित कर आस्ति	8,662.77	12,295.34
शुद्ध आस्थगित कर देयता	शून्य	शून्य

14. आस्तियों की हानि (एएस-28)

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता है।

15. पैरेंट और सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त जानकारियों का समेकन वित्तीय विवरण (सीएफएस) के निष्क्रिय और उचित दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है और ऐसी मदों से संबंधित सूचनाएं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, का सीएफएस में इसका प्रकटन नहीं किया गया है।
16. प्रबंधन का मानना है कि भविष्य में बैंक के कार्यनिष्ठादान और सतत कारोबार अवधारणा पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।
17. पिछले वर्ष के ऑकड़ों को, जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनः समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरी

(पंकज कुमार)	(प्रकुल्ल कुमार सामल)
उप महा प्रबंधक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
(रामसुब्रमणियन एस)	(निधु सक्सेना)
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक
(अरुण कुमार सिंह)	(जयदेव मदुगुला)
निदेशक	निदेशक
(लक्ष्मण एस उपर)	(ए. मणिमेखलै)
निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
	(श्रीनिवासन वरदराजन)
	अध्यक्ष

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002785S
सीए पी. एम. वीरामणि
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 23023933BGFVFC3602
कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223C
सीए रुचि अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं. 501434
यूडीआईएन: 23504134BGTWTPQ8986

कृते मेसर्स साराडा & पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 109262W/W100673
सीए निरंजन जोशी
भागीदार
सदस्य सं. 102789
यूडीआईएन: 23102789BGWREC1919
कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002803C
सीए अभिषेक शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 079224
यूडीआईएन: 23079224BGTQKQP5499

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 108959W
सीए सचिन वी लूधरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 23109127BGQVHRS4391
कृते मेसर्स एन वी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110100W
सीए प्रदीप जे. शेष्ठी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 23046940BGPTTT2512

समेकित नकदी प्रवाह विवरण
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
ए	परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:		
	कर से पहले निवल लाभ	12,14,647	8,56,634
	निम्न के लिए समायोजन :		
	अचल संपत्तियों पर मूल्य हास	74,457	73,809
	निवेशों के लिए प्रावधान	1,67,478	20,048
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल)	12,50,677	11,62,524
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(1,15,806)	1,36,754
	अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल)	14,760	11,339
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि	(149)	35
	उधारी पर ब्याज : पूँजीगत लिखत	1,58,601	1,55,133
	एसोसिएट में लाभ का शेयर	8,132	5,682
	आरक्षित से/में अंतरण	(56,928)	63,465
	कुल योग	27,15,870	24,85,426
	निम्न के लिए समायोजन:		
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	86,00,976	1,08,71,383
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	11,51,603	(5,55,146)
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी	6,61,560	(12,92,420)
	अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(1,14,16,687)	(81,66,081)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(7,74,427)	3,45,116
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल प्रतिपूर्ति)	(3,27,752)	(54,388)
	परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	6,11,143	36,33,890
बी	निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :		
	अचल संपत्तियों की खरीद	(3,06,555)	(74,953)
	अचल आस्तियों की बिक्री/समायोजन के आगम	68,280	30,788
	सहायक कंपनी के निवेश में (बढ़ोतरी) / कमी	(17,830)	(11,606)
	निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	(2,56,105)	(55,771)
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:		
	शेयर प्रीमियम (निवल) सहित सहायक कंपनियों के अधिमानित शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम	-	-
	शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम	-	1,44,208
	पूँजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि	98,300	7,00,000
	पूँजीगत लिखतों की चुकौती	(10,000)	(5,40,000)
	पूँजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि	(8,65,254)	(2,27,704)
	उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूँजीगत लिखत	(1,58,601)	(1,55,133)
	वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	(1,29,861)	-
	वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	(10,65,416)	(78,629)
	नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/ (कमी) (ए)+(बी)+(सी)	(7,10,377)	34,99,488
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	1,19,75,822	84,76,334
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	1,12,65,445	1,19,75,822

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

क्र.सं. विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
नकदी एवं नकदी समकक्ष के घटक		
डी वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष		
नकदी और भारिबंग के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	46,11,589	37,88,571
बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	73,64,233	46,87,762
वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	1,19,75,822	84,76,334
ई वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष		
नकदी और भारिबंग के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	50,25,811	46,11,589
बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	62,39,634	73,64,233
वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	1,12,65,445	1,19,75,822

जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरूप पुनर्संमूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(पंकज कुमार)

उप महा प्रबंधक

(रामसुद्रमणियन एस)

कार्यपालक निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)

निदेशक

(लक्ष्मण एस उपर)

निदेशक

(निधु सकरेना)

कार्यपालक निदेशक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(नितेश रंजन)

कार्यपालक निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)

निदेशक

(जयदेव मदुगुला)

निदेशक

(प्रीति जय राव)

निदेशक

(ए. मणिमेखलै)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(श्रीनिवासन वरदराजन)

अध्यक्ष

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र :

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षकों ने 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एस-3 "नकदीप्रवाह विवरण" के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 06 मई, 2023 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के समेकित लाभ हानि खाते तथा समेकित तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप हैं।

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 002785S

सीए पी. एम. वीरामणि

भागीदार

सदस्य सं. 023933

यूडीआईएन: 23023933BGVFVC3602

कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन 005223C

सीए रुचि अग्रवाल

भागीदार

सदस्य सं. 504134

यूडीआईएन: 23504134BGWTPQ8986

कृते मेसर्स साराडा & पारीख एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 109262W/W100673

सीए निरंजन जोशी

भागीदार

सदस्य सं. 102789

यूडीआईएन: 23102789BGWREC1919

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 002803C

सीए अभिषेक शर्मा

भागीदार

सदस्य सं. 079224

यूडीआईएन: 23079224BGTKQP5499

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 108959W

सीए सचिन वी लूथरा

भागीदार

सदस्य सं. 109127

यूडीआईएन: 23109127BGQVHRS4391

कृते मेसर्स एन वी एस & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 110100W

सीए प्रदीप जे. शेष्ठी

भागीदार

सदस्य सं. 046940

यूडीआईएन: 23046940BGPTTT2512